न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3296–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–09–2015 पारित द्वारा अपर तहसीलदार वृत्त मुरार जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 54/अ–68/2013–14.

बेतालसिंह पुत्र श्री दिलीपसिंह
निवासी गोसपुरा नम्बर–1
जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन एवं आदि

.....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 24–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार नजूल ग्वालियर के समक्ष राजस्व निरीक्षक मुरार द्वारा ग्राम दीनारपुर स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 383 व 384 रकवा 0.627 हेक्टेयर पर आवेदक द्वारा अवैध अतिकमण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार नजूल द्वारा प्रकरण कमांक

54/13–14/अ–68 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष केवल कारण बताओं सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया, समर्थन स्वरूप कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया । तद्नुसार तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–9–2015 को इस आशय की अंतरिम आदेशिका लिखी गई कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा केवल जबाव पेश, जबाव में अंकित रिकार्ड पेश नहीं, प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ पेश हो । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को पक्ष समर्थन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है और प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित कर लिया गया है जो कि अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और उसे विचारण न्यायालय में प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर देते हुये प्रकरण का अंतिम निराकरण किये जाने के लिये प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इसलिये तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि शासकीय गवाह को प्रतिपरीक्षण का

अवसर दिया जावे । वैसे भी तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये शासकीय गवाह का भी परीक्षण एवं प्रति परीक्षण कर शासकीय पक्ष को भी सही ढॅग से प्रस्तुत होने देते, परन्तु उनके द्वारा सीधे प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ नियत करने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे शासकीय गवाह का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण कराने के बाद संहिता के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार वृत्त मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 24–9–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर